278

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

संख्या–03/भू0अ0नि0(6)विशेष सर्वे(अधि0अभि0)–25/2024–870 (8)/रा0, पटना–15, दिनांक–13/10/26

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (यथा संशोधित) अधिनियम, 2011 की धारा–12 के उप धारा (2) तथा एतदर्थ (यथा संशोधित) नियमावली, 2012 के नियम–16 के उप नियम–(1) में निहित प्रावधान द्वारा बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त संशोधन अधिनियम, 2025 (दिनांक–12.08.2025) एवं बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त संशोधन नियमावली, 2026 (दिनांक–01.06.2026) अधिसूचित होने की स्थिति में एतद् द्वारा पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना सं0–186 (8)/रा0 दिनांक–21.05.2025 (गजट सं0–967, दिनांक–22.05.2025) एवं 187(8)/रा0 दिनांक–21.05.2025 (गजट सं0–968, दिनांक–22.05.2025) को प्रकाशित किया गया था, जिसे कतिपय त्रुटियों के कारण निरसित किया गया है। यह विभागीय अधिसूचना सं0–856(8)/रा0, दिनांक–30.09.2024 तथा बिहार गजट सं0–1209, दिनांक–30.09.2026 में प्रकाशित किया गया है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

9/10/26

(मोना झा),
उप निदेशक।

ज्ञापांक–03/भू0अ0नि0(6)विशेष सर्वे(अधि0अभि0)–25/2024–870 (8)/रा0, पटना–15, दिनांक–13/10/26

प्रतिलिपिः–सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी समाहर्त्ता, बिहार को गजट की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/10/26

(मोना झा),
उप निदेशक।

ज्ञापांक–03/भू0अ0नि0(6)विशेष सर्वे(अधि0अभि0)–25/2024–870 (8)/रा0, पटना–15, दिनांक–13/10/26

प्रतिलिपिः–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार को गजट की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/10/26

(मोना झा),
उप निदेशक।

ज्ञापांक–03/भू0अ0नि0(6)विशेष सर्वे(अधि0अभि0)–25/2024–870 (8)/रा0, पटना–15, दिनांक–13/10/26

प्रतिलिपिः–विद्वान महाधिवक्ता, बिहार, पटना को गजट की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/10/26

(मोना झा),
उप निदेशक।

01C

(277)

ज्ञापांक–03 / भू0अ0नि0(6)विशेष सर्वे(अधि0अभि0)–25 / 2024–870 (8) / रा0, पटना–15, दिनांक–13/10/26

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त, बिहार को गजट की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/10/26
(मोना झा),
उप निदेशक।

ज्ञापांक–03 / भू0अ0नि0(6)विशेष सर्वे(अधि0अभि0)–25 / 2024–870 (8) / रा0, पटना–15, दिनांक–13/10/26

प्रतिलिपिः–सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष, बिहार को गजट की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/10/26
(मोना झा),
उप निदेशक।

ज्ञापांक–03 / भू0अ0नि0(6)विशेष सर्वे(अधि0अभि0)–25 / 2024– 870 (8) / रा0, पटना–15, दिनांक–13/10/26

प्रतिलिपिः–सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना को गजट की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/10/26
(मोना झा),
उप निदेशक।

ज्ञापांक–03 / भू0अ0नि0(6)विशेष सर्वे(अधि0अभि0)–25 / 2024– 870 (8) / रा0, पटना–15, दिनांक–13/10/26

प्रतिलिपिः–माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना को गजट की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/10/26
(मोना झा),
उप निदेशक।

ज्ञापांक–03 / भू0अ0नि0(6)विशेष सर्वे(अधि0अभि0)–25 / 2024– 870 (8) / रा0, पटना–15, दिनांक–13/10/26

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार के आप्त सचिव को गजट की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/10/26
(मोना झा),
उप निदेशक।

ज्ञापांक–03 / भू0अ0नि0(6)विशेष सर्वे(अधि0अभि0)–25 / 2024–870 (8) / रा0, पटना–15, दिनांक–13/10/26

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को गजट की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि विभागीय वेबसाईट पर गजट की प्रति आज ही अपलोड करेगें।

9/10/26
(मोना झा),
उप निदेशक।

02

निबंधन संख्या पी0टी0-40



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आश्विन 1948 (श0)

(सं0 पटना 1209) पटना, बुधवार, 30 सितम्बर 2026

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

29 सितम्बर 2026

सं0सं0–03/भू0अ0नि0(6)विशेष सर्वे (अधि/अमि0)–25/2024–(खण्ड–1)–853(8)—बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (यथा संशोधित) अधिनियम, 2011 की धारा–12 के उप धारा (2) तथा एतदर्थ (यथा संशोधित) नियमावली, 2012 के नियम–16 के उप नियम–(1) में निहित प्रावधान द्वारा बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त संशोधन अधिनियम, 2025 (दिनांक– 12.08.2025) एवं बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त संशोधन नियमावली, 2026 (दिनांक–01.06.2026) अधिसूचित होने की स्थिति में एतद् द्वारा पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना सं0–186 (8)/रा0 दिनांक–21.05.2025 (गजट सं0–967, दिनांक–22.05.2025) एवं 187(8)/रा0 दिनांक 21.05.2025 (गजट सं0–968, दिनांक–22.05.2025) को प्रकाशित किया गया था, जिसे कतिपय त्रुटियों के कारण निरसित किया जाता है।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

3. उपरोक्त पर माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जय सिंह,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1209—571+10-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in